सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान
डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, पूसा, नई दिल्ली-110012

सं. 8(117)/2023-सा. दिनांक: 17.04.2023

कार्यालय ज्ञापन

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के पत्र संख्या Const./CTE/CGC/91 दिनांक 26.03.92 के अनुसार निदेशक, निस्पर ने कार्मिकों की शिकायतों को निपटाने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की 'ग्रीवंस एंड कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कमेटी' के गठन हेतु सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है:

कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कमेटी

क्र. सं.	वैज्ञानिक/अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	डॉ. सुजीत भट्टाचार्य, मुख्य वैज्ञानिक	अध्यक्ष
2.	प्रशासन नियंत्रक	सदस्य

यह समिति किसी भी पीड़ित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत रूप से मौखिक शिकायत प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक सप्ताह में निश्चित समय निर्धारित करेगी। यह समिति निर्धारित करेगी कि प्रबंधन के माध्यम से शिकायत सुलझाई जाए और पीड़ित कर्मचारी को संगत नियमों एवं प्रक्रिया के बारे में परामर्श देगी । यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह शिकायत की प्रकृति के आधार पर या तो स्थानीय शिकायत समिति और या केंद्रीय शिकायत समिति को लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है/ करा सकती है ।

स्थानीय शिकायत समिति (लोकल ग्रीवंस कमेटी)

क्र सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	श्री एस. सी. बुर्डे, वरि. प्रधान वैज्ञानिक	अध्यक्ष
2.	डॉ. (श्रीमती) सुमन रे, प्रधान वैज्ञानिक	सदस्य
3.	श्री नरेन्द्र पाल, प्रधान तकनीकी अधिकारी	सदस्य
4.	डॉ. मोनिका जग्गी, प्रधान वैज्ञानिक	सदस्य
5.	डॉ. एन. के. प्रसन्ना, वरि. वैज्ञानिक	सदस्य
6.	श्रीमती भावना ठाकुर, अनुभाग अधिकारी (सा.)	सदस्य
7.	श्री गुरप्रसाद सिंह बग्गा, तकनीकी अधिकारी	सदस्य
8.	श्री खेम चंद, तकनीशियन (2)	सदस्य
9.	श्री अभिनव राज, तकनीकी सहायक	सदस्य
10.	श्रीमती नीलम वर्मा, तकनीशियन	सदस्य
11.	श्री विनोद कुमार, सहा. अनुभाग अधिकारी (भं. व क्र)	सदस्य
12.	श्री मुरली धर, प्रयोगशाला सहायक	सदस्य
13.	श्रीमती कृष्णा, वरिष्ठ आशुलिपिक	सदस्य-सचिव

शिकायत समिति का उद्देश्य:

क) शिकायत समिति संस्थागत ढांचे में एक उपाय प्रदान करेगी कि:

1) व्यक्तिगत शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए आसान पहुंच उपलब्ध कराना;

2) शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही और उन पर निर्णय सुनिश्चित करना;

3) सम्पूर्ण प्रक्रिया में वास्तविकता और निष्पक्षता प्रदान करना;

i) शिकायत समिति को केवल मामले के तकनीकी पक्ष पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए अपितु कर्मचारी और संस्थान के बीच अच्छा संचार स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए ।

ii) शिकायत समिति को भ्रांतियां (गलतफ़हमी) दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए और संस्थान में अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए ।

शिकायत समिति का कार्यक्षेत्र:

1. शिकायत समिति किसी कर्मचारी की केवल विशेष प्रकार की व्यक्तिगत शिकायतों जो संबंधित पीड़ित कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई हों, पर विचार करेगी;
2. शिकायत समिति निम्नलिखित पर विचार नहीं करेगी:
   क) सामान्य उपयुक्तता की कोई शिकायत या सामूहिक प्रकृति या एक से अधिक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से की गई शिकायत ।
   ख) अनुशासनात्मक नियमों के तहत कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न कोई शिकायत ।
   ग) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी), चयन समितियों और असेसमेंट कमेटियों के निर्णयों से सम्बद्ध कोई शिकायत । फिर भी, समितियों के गठन या निर्धारित प्रक्रिया के पालन करने, उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, जहाँ अनिवार्य हो, गणपूर्ति पूरा न होने में पूर्व-दृष्टया किसी प्रकार की भूल/त्रुटि रह गई है, तो इन बिंदुओं पर शिकायत समिति द्वारा विचार किया जा सकता है । स्थानीय शिकायत समिति केवल नियमों/प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी पूर्व-दृष्टया मामलों पर विचार करेगी । अन्य विशिष्ट भूल/त्रुटि संबंधी मामालों पर केंद्रीय शिकायत समिति (सीजीसी) विचार किया जाएगा ।
   घ) कालातीत मामले या कैट/न्यायालयों को रेफर किए गए मामले । यदि किसी आर्डर या निर्णय के 45 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मामले को कालातीत मामला मान लिया जाएगा । फिर भी, केंद्रीय शिकायत समिति (सीजीसी) गुण-दोष के आधार पर किसी कालातीत मामले पर विचार कर सकती है ।
   ङ) किसी निर्णय के विरुद्ध कोई शिकायत जिसकी अपील हेतु वैधानिक नियम, इत्यादि हों ।

शिकायत समिति का कार्यकाल इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

गोस्वामी 19/4/23

(पंकज गोस्वामी)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित कार्मिकों को शिकायत समिति के दिशानिर्देश की प्रति सहित
2. निदेशक, निस्पर के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
3. सभी विभागाध्यक्ष/ अनुभाग अधिकारी
4. प्रशासन नियंत्रक के निजी सचिव
5. प्रमुख, आईटी -- कार्या. ज्ञापन को निस्पर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
6. सभी सूचना पट्ट

CSIR-NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION AND POLICY RESEARCH
DR. K.S. KRISHNAN MARG, PUSA, NEW DELHI-110012

No. 8(117)/2023-Gen

Dated: 17.04.2023

OFFICE MEMORANDUM

In terms of CSIR letter No. Const./CTE/CGC/91 dated 26.03.92, Director, NIScPR has been pleased to constitute a Grievance Committee and Consultative Mechanism Committee consisting of the following officers/officials for redressal of grievances of NIScPR employees:-

Committee on Consultative Mechanism

Sl. No.	Name of Scientist/Officer	Designation
1.	Dr. sujit Bhattacharya, Chief Scientist	Chairman
2.	COA	Member

This Committee will set-apart fixed time every week for any aggrieved employee to present his grievances verbally in person. It will determine and get grievance sorted out through the management and advise the aggrieved employee about the relevant rules and procedure. If he/she is not satisfied, he/she may file a written grievance either to the Local Grievance Committee or to the Central Grievance Committee, depending upon the nature of the grievance.

Local Grievance Committee

Sl. No.	Name of the Officials	Designation
1.	Sh. S.C. Burde, Chief Scientist	Chairman
2.	Dr. (Mrs.) Suman Ray, Sr. Principal Scientist	Member
3.	Sh. Narendra Pal, PTO	Member
4.	Sh. Khem Chand, Technician (2)	Member
5.	Dr.N.K. Prasanna, Principal Scientist	Member
6.	Smt. Bhavna Thakur, SO (Gen)	Member
7.	Sh. Gurparsad Singh Bagga, TO	Member
8.	Dr. Monika Jaggi, Principal Scientist	Member
9.	Sh. Abhinav Raj, TA	Member
10.	Mrs. Neelam Verma, TA	Member
11.	Sh. Vinod Kumar, ASO	Member
12.	Sh. Murli Dhar, Lab. Asstt.	Member
13.	Mrs Krishna, Sr. Steno	Member Secretary

Objectives of the Grievance Committee:-

a. The Grievance Committee will provide an apparatus in the Institutional frame work that:
   i. Provide easy access for ventilating personal grievances;
   ii. ensure speedy consideration of grievance and decision thereon;
   iii. impart a degree of objectivity and fair-play in the whole process.

b. The Grievance Committee should not look only into the technicalities but should help to establish good communication between the employees and the Institute.
c. The Grievance Committee should make every effort to remove misunderstandings and to develop congenial atmosphere in the Institute.

Scope of the Grievance Committee:-

1. The Grievance Committee shall consider only individual grievances of specific nature of an employee and raised individually by the concerned aggrieved employee;
2. The Grievance Committee shall not consider:

a. Any grievance of general applicability or of collective nature or raised collectively by more than one employee.
b. Any grievance arising out of disciplinary action have been taken against employees under Disciplinary Rules.
c. Any grievance involving decision of DPC, Selection Committees and Assessment Committees. However, if there are any ex-facie procedural lapses in constitution of committees, or following of prescribed procedure, e.g. absence of SC/ST representatives where mandatory, lack of quorum, etc these could be looked into by the Grievance Committees. A Local Grievance Committee will consider only cases of ex-facie violation of rules/ procedures. Other cases of specified lapses would by considered by the CGC (Central Grievance Committee)
d. Time barred cases or cases referred to CAT/Courts. A case will be treated as time-barred if no representation is made within 45 days of the decision/ order. However, the CGC may entertain any case which is time barred, on merit.
e. Any grievance against a decision for which there are statutory rules of appeal, etc.

The tenure of committee will be for a period of two years from the date of issue of this OM.

गोस्वामी 19/4/23
(Pankaj Goswami)
Administrative Officer

Copy to:

1. All concerned officials alongwith a copy of guidelines of Grievance Committee
2. PPS to Director
3. All Divisional/Sectional Heads
4. PS to COA
5. Head IT – For uploading in the NIScPR website
6. Hindi Cell – For Hindi translation
7. Notice Boards